पत्रांकः– वन भूमि–63 / 2018..... / प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.....

विषय :– जमुई जिलान्तर्गत SH-82 लछुआर–जमुई–गरही–रूपावेल–कौआकोल में रूपावेल तक भाया कुण्डघाट भगवान महावीर जन्मस्थली (0.00–25.05 कि०मी०) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (वन क्षेत्र में पड़ने वाले पथांश (Ch.6000-17000=11.000 KM एवं (Ch.21100-22300=1.200 KM Total 12.200 KM हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.795 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, जमुई द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजित होने वाली कुल वनभूमि 5.795 हे० एवं 75 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	
	0.60 CM तक	0.60 CM से अधिक
1	50	25

प्रस्तुत प्रस्ताव का वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत कुल 5.795 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए FRA, 2006 प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है।

परियोजना का निर्माण प्राकृतिक वन क्षेत्र में पूर्व स्थापित वन पथ को चौड़ा किये जाने हेतु है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाले वन भूमि के समतुल्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु हस्तांतरित की जाने वाली 5.829 हे० (14.40 एकड़) गैर वन भूमि हरखाड़ थाना नं० 266, खाता संख्या–37, खेसरा संख्या–34 में चिन्हित की गयी है जिसे (Stage-I) के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तातंरित की जायेगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हस्तातंरित की जाने वाली गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–5.795 हे० अपयोजित होने वाले वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जाता है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 5.795 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 36,27,670/–(छत्तीस लाख सताईस हजार छः सौ सत्तर रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 5.795 हे० वन भूमि के बदले जमुई जिलान्तर्गत मौजा हरखाड में समतुल्य चिन्हित गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० 21,23,585/–(इक्कीस लाख तेईस हजार पाँच सौ पचासी रूपये) मात्र का वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा तैयार कर भेजा गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदभ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–63/2018....................../प०व०, पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–63/2018 1130(ई) /प०व०, पटना–15, दिनांक 08/10/18

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

08/10/18
(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-4